



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30072021-228579
CG-DL-W-30072021-228579

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 18 - जुलाई 24, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 27- श्रावण 2, 1943
No. 24] NEW DELHI, JULY 18 - JULY 24, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 27 - SRAVANA 2, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2018, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2021 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति —
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
 परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	13*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- अवर श्रेणी लिपिक जो स्तर 2 ग्रेड में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए; या (ii) अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने स्तर 2 ग्रेड में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण - 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 या ग्रेड-3, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य	
--	---	--

[फा. सं. 23011/74/2020 पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th July, 2021

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Hyderabad Upper Division Clerks Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Upper Division Clerk Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	13* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerks with eight years regular service in level 2 in the grade. Deputation: Officers of the Central Government: (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Lower Division Clerks with eight years regular service in level 2 in the grade.	Group 'C' Department Promotion Committee consisting of:— (1) Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Chairman; (2) Asstt. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member; (3) Administrative Officer, Grade-II or Grade-III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy –Member.	Not applicable.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment o deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3: The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the last date of receipt of application.		
---	--	--

[F.No. 23011/74/2020-PT]

D K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 76.— केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र सीमा बल, हैड कांस्टेबल समूह 'ग' योद्धक (अराजपत्रित) मोटर परिवहन और मैकेनिक काडर पद भर्ती नियम, 2011, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में, हैड कांस्टेबल समूह 'ग' योद्धक (अराजपत्रित) मोटर परिवहन और मैकेनिक काडर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, हैड कांस्टेबल, समूह 'ग' योद्धक (अराजपत्रित) मोटर परिवहन और मैकेनिक काडर पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता — वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजन के लिए, “शेप-1” से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :—

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में है वहाँ उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :—

(क) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य ;

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्गुह्य है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं;

(ग) “एस” कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दोर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं;

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य;

(ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. अन्यदेशीय अपात्रता .— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान की प्रजा नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता.— (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा;

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

9. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. सेवा का दायित्व.— इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

11. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

12. निर्वचन .— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. हैड कांस्टेबल (मैकेनिक)	454* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100रु)	अचयन	पुरुष अभ्यर्थियों की आयु 21 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए पाँच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। सरकारी सेवकों के लिए भी शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) शैक्षिक अर्हता: आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य ; (ख) ऑटोमोबाइल डिप्लोमा या मोटर मैकेनिकल इंजिनियरी में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या सरकार से मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से ऑटोमोबाइल या मोटर यांत्रिकी इंजीनियरी में दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो या समतुल्य ; (ग) भारी यानों का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति अवश्य हो। वांछनीय : प्राधिकृत गैरेज या वर्कशॉप में दो वर्ष का अनुभव। (ii) शारीरिक मानदंड: (क) ऊँचाई: 170 से.मी. शिथिलीकरण: अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊँचाई नीचे दिए गये वर्गों के अनुसार अर्थात् गढ़वाली, कुमाँउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रवर्गों में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुष के लिए 162.5 से.मी. होगी। (ख) छाती : बिना फुलाए : 80 से.मी. फुलाने पर : 85 से.मी.	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या पुनर्नियोजन द्वारा। (ii) 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

शिथिलीकरण : अभ्यर्थियों के न्यूनतम छाती नीचे दिए गये वर्गों के अनुसार अर्थात् गढ़वाली, कुमाँउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रवर्गों में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 78 से.मी. (फुलाने पर न्यूनतम पाँच से.मी. फैलाव) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 76 से.मी. (फुलाने पर न्यूनतम पाँच से.मी. फैलाव) होगी। (iii) चिकित्सीय मानदंड : (क) दृष्टि : दृष्टि सुधार के बिना अर्थात् चश्मा लगाए बिना दोनों आँखों की न्यूनतम दूरी की दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ख) वजन : ऊँचाई के अनुसार। टिप्पण: महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल, आपवादिक योग्य मामलों में विशेष छूट के रूप में शारीरिक मापदंड में शिथिल कर सकते हैं, अभ्यर्थियों को संहतजानु (नौकनी) चपटा पांव, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन), या तिर्यक आँखा वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसे शारीरिक त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए जिससे कि उनके कर्तव्यों के दक्षतावपूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:— वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100रु) में सशस्त्र सीमा बल के लांसनायक (ड्राइवर) या कांस्टेबल (ड्राइवर) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने समय-समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: लांसनायक (ड्राइवर) और कांस्टेबल (ड्राइवर) के पदों को एक साथ सम्मिलित करने के पश्चात् उनकी ज्येष्ठता विद्यमान उत्कम के अनुसार अनुरक्षित की जाएगी। ज्येष्ठतम पदधारी लांसनायक (ड्राइवर) होगा और लांसनायक पदों को पूर्णतः समाप्त होने के बाद अंत में कांस्टेबल (ड्राइवर) होगा। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी जो (i) वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100रु) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमाण्डेंट या सेकेण्ड —इन—कमाण्ड, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष; 2. उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य; 3. सहायक कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य; 4. उप निरीक्षक (मैकेनिक), सशस्त्र सीमा बल : सह-सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमाण्डेंट या सेकेण्ड —इन—कमाण्ड, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष; 2. उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य; 3. सहायक कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य।	लागू नहीं होता।

(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव आर शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। टिप्पण -1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुनर्नियोजन :-ऐसे भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन, जिन्होंने सशस्त्र बलों में वही या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हैड कास्टैबल (ड्राइवर)	593 * (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500.81100रु)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या पुनर्नियोजन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100रु) में सशस्त्र सीमा बल के लांस नायक (ड्राइवर) या कांस्टेबल (ड्राइवर) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने समय-समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण-1: लांस नायक (ड्राइवर) और कांस्टेबल (ड्राइवर) के पदों को एक साथ सम्मिलित करने के पश्चात् उसकी ज्येष्ठता विद्यमान उत्क्रम के अनुसार अनुरक्षित की जाएगी। ज्येष्ठतम पदधारी लांस नायक (ड्राइवर) होगा और लांस नायक पदों को पूर्णता: समाप्त होने के बाद अंत में कांस्टेबल(ड्राइवर) होगा। टिप्पण-2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी जो: (i) वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमाण्डेंट या सेकेण्ड -इन-कमाण्ड, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष; 2. उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य; 3. सहायक कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य; 4. उप निरीक्षक (मैकेनिक या मोटर परिवहन), सशस्त्र सीमा बल : सह-सदस्य।	लागू नहीं होता।

(21700-69100रु) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित, शारीरिक चिकित्सीय, शैक्षणिक अर्हता और तकनीकी अर्हता रखता हो। टिप्पण -1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुनर्नियोजन : ऐसे भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन, जिन्होंने सशस्त्र बलों में वही या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. 9/3/एसएसबी/सीएससी/बीएन/समूह'ग'/एम टी/2016/एस एफ एस]

के. प्रकाशम, अवर सचिव

New Delhi, the 19th July, 2021

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007) and in supersession of the Sashastra Seema Bal, Head Constable, Group 'C' Combatised (Non Gazetted) Motor Transport and Mechanic Cadre posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Head Constable, Group 'C' Combatised (Non-Gazetted) Motor Transport and Mechanic Cadre posts under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Head Constable, Group 'C' Combatised (Non-Gazetted) Motor Transport and Mechanic Cadre Posts, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification .**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-1, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.—For the purpose of this rule, “SHAPE-1” means Medical category defined as under:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eyesight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-

(a) Fit for all duties any wherein India;

(b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes;

(c) Excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;

(d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave;

(e) Permanently unfit for duties.

7. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.—A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Liability of service.—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

11. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Head Constable (Mechanic)	454* (2021) * Subject to variation dependent upon workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non-selection	Male candidates between 21-27 years of age. (Upper age relaxable by five years for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and three years for the Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant up to forty years as per instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Educational Qualification: Essential: (a) passed Matriculation from a recognised Board or equivalent. (b) passed the Diploma in automobile or motor mechanical engineering or two years certificate course in automobile or motor mechanical engineering from a Government recognised Industrial Training Institute (ITI) or equivalent. (c) Posses valid driving license for heavy vehicles. Desirable: Two years experience in an authorised garage or workshop. (ii) Physical Standard: (a) Height : 170 cms. Relaxation: The Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh shall be 165 cms. for male. The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes shall be 162.5 cms. for male. (b) Chest: Unexpanded 80 cms. Expanded 85 cms. Relaxation: The Minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Union	Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 67 per cent. by promotion failing which by deputation or re-employment; (ii) 33 per cent. by direct recruitment.

Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh shall be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes shall be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion). (iii) Medical standard (a) Eye sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses. (b) Weight: Corresponding to height. Note: Director General, Sashastra Seema Bal may accord relaxation in physical standards as special dispensation in exceptionally deserving cases. The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in the eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lance Naik (Driver) or Constable (Driver) of Sashastra Seema Bal with five years regular service in level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. Note-1: After clubbing the posts of Lance Naik (Driver) and Constable (Driver) as Constable (Driver), their seniority shall be maintained as per the existing hierarchy. The senior most incumbents will be Lance Naik (Driver) and finally Constable (Driver) will come after the posts of Lance Naik are totally exhausted. Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Second-in-Command, Sashastra Seema Bal : Chairman; 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member; 3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal : Member; 4. Sub Inspector (Mechanic), Sashastra Seema Bal : Associated Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Second-in-Command, Sashastra Seema Bal : Chairman;	Not applicable.

also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) With five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column (7). Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Re-employment:-Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in Armed Forces and are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered for deputation and such persons if selected would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment.	2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member; 3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal : Member.	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Head Constable (Driver)	593* (2021) *Subject to variation dependent upon workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation/ absorption or by re-employment

(11)	(12)	(13)
Promotion: Lance Naik (Driver) or Constable (Driver) of Sashastra Seema Bal with five years regular service in level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. Note-1: After clubbing the posts of Lance Naik (Driver) and Constable (Driver) as Constable (Driver), their seniority shall be maintained as per the existing hierarchy. The senior most incumbents will be Lance Naik (Driver) and finally Constable (Driver) will come after the posts of Lance Naik are totally exhausted. Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/absorption: (a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) With five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) having Physical, Medical, Educational Qualification and Technical Qualification as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Second-in-Command, Sashastra Seema Bal : Chairman; 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member; 3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal: Member; 4. Sub Inspector (Mechanic or Motor Transport), Sashastra Seema Bal :Associated Member.	Not applicable.

Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Re-employment:- Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in Armed Forces and are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered for deputation and such persons if selected would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment.		
---	--	--

[F. No. 9/3/SSB/CSC/BN/Gp.'C' /MT/2016/SFS]

K. PRAKASHAM, Under Secy.

कृषि, किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, तकनीकी सहायक (विष विज्ञान) भर्ती नियम, 1979, वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (विष विज्ञान) भर्ती नियम 1990 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी (विष विज्ञान), वनस्पति संरक्षण अधिकारी (विष विज्ञान), सहायक निदेशक (विष विज्ञान) उप-निदेशक (विष विज्ञान) और संयुक्त निदेशक (विष विज्ञान) के पदों की भर्ती प्रणाली को विनियमित करने वाली निम्नलिखित नियमावली को एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण संगरोध और संग्रह निदेशालय, (विष विज्ञान) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी (विष विज्ञान)	07 (सात)* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय अराजपतिरत समूह "ख"	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400 – 1,12,400 रूपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता— 1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से विष विज्ञान या औषध	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन

विज्ञान या चिकित्सा प्रौद्योगिकी या जैव-रसायन या सूक्ष्म-जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या पशु शरीर विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री।			छुट्टी या किसी अन्य परिस्थि में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी।
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रुपये) के पदों में कम से कम छह साल की नियमित सेवा के साथ; और (ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हो।
			टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'ख') (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से बनकर बनेगी- - पादप संरक्षण सलाहकार, - अध्यक्ष ; भारत सरकार - ज्येष्ठतम संयुक्त निदेशक - सदस्य ; - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य; और पादप संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय - अवर सचिव (पादप संरक्षण), - सदस्य कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. पादप संरक्षण अधिकारी (विष विज्ञान)	03 (तीन)* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय, अराजपत्रित समूह-ख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसा सहायक पादप संरक्षण अधिकारी (विष विज्ञान) अथवा सहायक पौध संरक्षण अधिकारी (पशु गृह) उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित है, 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद पर विनिर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी, जो (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सद्दृश पदधारण किए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रु. – 1,12,400 रु.) या इसके समतुल्य में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'ख') (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी- 1. पादप संरक्षण सलाहकार, - अध्यक्ष ; भारत सरकार 2. वरिष्ठतम संयुक्त निदेशक - सदस्य ; (कीट विज्ञान) 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य; और पादप संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय 4. अवर सचिव (पादप संरक्षण), - सदस्य कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

रखते हो: (i) विष-विज्ञान या औषध-विज्ञान या चिकित्सा प्रौद्योगिकी या जैव-रसायन विज्ञान या सूक्ष्म-जीव विज्ञान या जैव-प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री सहित मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पशु शरीर क्रिया विज्ञान में विशेषज्ञता हो और; (ii) औषध-विज्ञान या विष-विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला या अस्पताल या किसी संस्थान में दो वर्षों का अनुभव हो। नोट 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक निदेशक (विष-विज्ञान)	02 (दो)* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स (56,100 रु. – 1,77,500 रु.) में स्तर-10	चयन पद	35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्षों की छूट) नोट - आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा औषध-विज्ञान या विष विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो। अनुभव: औषध विज्ञान या विष विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में प्रयोगशाला या अस्पताल या किसी	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए नोट: सीधे भर्ती हुए व्यक्ति को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।	50% सीधे भर्ती द्वारा और 50% प्रोन्नति द्वारा पद भरे जाएंगे जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है, भरा जाएगा।

संस्थान में कम-से-कम तीन वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। वांछनीय अर्हता : पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से औषध-विज्ञान या विष विज्ञान में विशेषज्ञता। अनुभव: पशु-गृह के प्रबंधन या पशुओं के रख-रखाव में एक वर्ष का अनुभव अथवा कीटनाशकों या रसायनों के विष-विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त हो। नोट 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना नहीं है।			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसा पादप संरक्षण अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे जेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से बनकर बनेगी : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – सदस्य;	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (47600-151000 रु.) या स्तर -09 (53100-167800 रुपए) पर मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य पद में नियमित आधार पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- टिप्पण- 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	4. पादप संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार – सदस्य; समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – सदस्य; 3. पादप संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार – सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव (पादप संरक्षण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – सदस्य।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप निदेशक (विष विज्ञान)	01 (एक) * (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (66700-208700 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोद्वृत्ति द्वारा पद भरे जाएंगे जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 में कार्यरत सहायक निदेशक (विष विज्ञान), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार	विभागीय पदोन्नति समिति (समूह 'क') (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – सदस्य; 3. पादप संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार – सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव (पादप संरक्षण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पर सदृश पद धारण करते हों, या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु.) पर मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य के पद में नियमित आधार पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- आवश्यक अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री या औषध विज्ञान अथवा विष विज्ञान में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो, और; (ii) औषध विज्ञान और विष विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला या चिकित्सालय या संस्थान में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो। वांछनीय अर्हता: औषध विज्ञान या विष विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान में परास्नातक डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औषध विज्ञान या विष विज्ञान में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. संयुक्त निदेशक (विष विज्ञान)	01 (एक) *(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह "क"	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800-209200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% संयुक्त भर्ती द्वारा (अल्पकालिक संविदा या प्रोदन्नति सहित प्रतिनियुक्ति)

(11)	(12)	(13)
संयुक्त भर्ती [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या पदोन्नति]: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- आवश्यक अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री या औषध विज्ञान अथवा विष विज्ञान में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो, और; (ii) औषध विज्ञान और विष विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला या चिकित्सालय या संस्थान में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखता हो। वांछनीय अर्हता: औषध विज्ञान या विष विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान में परास्नातक डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औषध विज्ञान या विष विज्ञान में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700-208700) में कार्यरत विभागीय उप निदेशक (विष विज्ञान) जिन्होंने संवर्ग में पांच साल की नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले बाह्य लोगों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उसे प्रोदन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं.12028/1/2019-पीपी स्था. (ई-77856)]

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, Co-Operation and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 15th July, 2021

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Technical Assistant (Toxicology) Recruitment Rules, 1979 and the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Senior Technical Assistant (Toxicology) Recruitment Rules, 1990 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Plant Protection Officer (Toxicology), Plant Protection Officer (Toxicology), Assistant Director (Toxicology), Deputy Director (Toxicology) and Joint Director (Toxicology), in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of the posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Plant Protection Officer (Toxicology)	07 (Seven)* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group B	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding 30 years (relaxable for government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note – The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: Master's Degree in Toxicology or Pharmacology or Medical Technology or Bio-Chemistry or Microbiology or Biotechnology or Masters Degree in Zoology with specialization in Animal Physiology from a recognized Institute or University. NOTE 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	100% by Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with at least six years regular service in posts in level 5 (Rs. 29,200-92,300) of the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. Note: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

In case recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Promotion Committee (Group 'B') (for considering Confirmation) consisting of- 1. Plant Protection Adviser to the Government of India - Chairman ; 2. Senior most Joint Director, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Member ; 3. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Member; and 4. Under Secretary (Plant Protection) Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member.	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the post.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Plant Protection Officer (Toxicology)	03 (Three)* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted Group B	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by Promotion failing which by deputation including short-term contract.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Plant Protection Officer (Toxicology) or Assistant Plant Protection Officer (Animal House) in Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by the competent authority. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever	Departmental Promotion Committee (Group 'B') (for considering promotion) consisting of: 1. Plant Protection Adviser to the Government of India - Chairman ; 2. Senior Most Joint Director (Entomology) - Member ; 3. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Member ; 4. Under Secretary (Plant Protection) Department of Agriculture, Co-	Consultation with the Union Public Commission is not necessary.

is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory organizations or Agricultural universities or recognized research institutions: (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years regular service in level-6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Masters Degree in Toxicology or Pharmacology or Medical Technology or Bio-Chemistry or Microbiology or Biotechnology or Masters Degree in Zoology with specialization in Animal Physiology from a recognized Institute or University, and; (ii) Two years experience in Lab or Hospital or Institution in the field of Pharmacology or Toxicology. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion or absorption. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.	operation and Farmers Welfare	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Director (Toxicology).	02 (Two)* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'.	Level-10 in the pay matrix. (Rs. 56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note – The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: Bachelors Degree in Veterinary Science or Masters Degree in Pharmacology or Toxicology from a recognized Institute or University. Experience: Minimum Three years working experience in lab or hospital or institution in related field of Pharmacology or Toxicology. Desirable Qualification: Masters Degree in the field of Veterinary Science with specialization in Pharmacology or Toxicology from a recognized university. Experience: One year practical experience in management of Animal House or handling of animals or in the field of Toxicology of Pesticides or Chemicals. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No.	Two years for direct recruits and promotees. Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	50% by direct recruitment and 50% by promotion failing which by deputation including short-term contract.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Plant Protection Officer (Toxicology) in level-7 (44900-142400) in the pay matrix with three years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks of training as prescribed by the competent authority. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term Contract): Officers under the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory organizations or recognized Universities or research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the level-8 (Rs.47600-151100) or level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion or absorption. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age for appointment by deputation (including	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman ; - Joint Secretary (Plant Protection) Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare - Member ; - Joint Secretary (Administration) Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare - Member ; - Plant Protection Adviser to the Government of India. - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: - Joint Secretary (Plant Protection), Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare – Chairman ; - Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare – Member ; - Plant Protection Advisor to the Government of India – Member; - Director or Deputy Secretary (Plant Protection), Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Deputy Director (Toxicology)	01 (One) * (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	Level-11 in the pay matrix (Rs. 66700-208700)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by Promotion failing which by deputation (Including short term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director (Toxicology) working in level-10 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks of training as prescribed by the competent authority. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short - term contract): Officers under the Central Governments or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory organizations or recognized Universities or research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:- Essential Qualification: (i) Bachelors Degree in Veterinary Science or Masters Degree in Pharmacology or Toxicology	Departmental Promotion Committee (Group 'A') (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Secretary - Chairman ; (Plant Protection) Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare 2. Joint Secretary - Member ; (Administration), Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare 3. Plant Protection - Member ; Adviser to the Government of India 4. Director or Deputy Secretary (Plant Protection Division), Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

from a recognized university or Institute, and; (ii) Minimum five years experience in lab or hospital or institution in the field of Pharmacology or Toxicology. Desirable Qualification: Masters Degree in Veterinary Science with specialization in Pharmacology or Toxicology or Doctorate Degree in Pharmacology or Toxicology from a recognized university or Institute. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion or absorption. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Joint Director (Toxicology)	01 (One) * (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial, Gazetted Group 'A'	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800- 209200)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 % by composite method. (deputation including short-term contract or promotion)

(11)	(12)	(13)
Composite Method [Deputation (including short term contract) or promotion]: Officers under the Central Governments or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory organizations or recognized Universities or research Institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:- Essential Qualification: (i) Bachelors Degree in Veterinary Science or Masters Degree in Pharmacology or Toxicology from a recognized university or Institute, and; (ii) Minimum ten years experience in lab or hospital or institution in the field of Pharmacology or Toxicology. Desirable Qualification: Masters Degree in Veterinary Science with specialization in Pharmacology or Toxicology or Doctorate Degree in Pharmacology or Toxicology from a recognized university or Institute. Note 1: The Departmental Deputy Director (Toxicology) working in level-11 (Rs.67700-208700) of the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing the requisite educational qualifications and Experience prescribed for deputationists will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled up by promotion. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		
---	--	--

[F.No. 12028/1/2019-PP Estt (e-77856)]

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम 1965, जहां तक उनका संबंध तकनीशियन के पद से है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में तकनीशियन के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन	13 (तेरह) (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास 2. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूनिक्शन/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति: संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2- (19900-63200 रुपये) में बॉयलर अटेंडेंट और आर्मेचर वाइन्डरर वेल्ड-सह-ने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित जिन्होंने सेवा की है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- (1). मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -अध्यक्ष ; (2). सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; (3). प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; (4). सैनिक अस्पताल के कमान अफसर या प्राधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- (1). मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -अध्यक्ष ; (2). सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान	लागू नहीं होता।

	संस्थान, कसौली – सदस्य; (3). प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – सदस्य; (4). सैनिक अस्पताल के कमान अफसर या प्राधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य।	
--	---	--

[फा. सं.ए-12018/02/2020-ईपीआई]

जी.के.पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Class III and Class IV posts), Recruitment Rules, 1965, in so far as it relates to the post of **Technician**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulation the method of recruitment to the post of **Technician** in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Technician (**Group ‘C’** Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician	13 (Thirteen) 2021 *Subject to variation dependent on	General Central Services, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of

	workload.				forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	-----------	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1. 12th class pass from a recognised Board. 2. Three year Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Instrumentation Engineering from all India Council for Technical Education approved Government recognised Institute or University.	Not applicable	Two years for direct recruitment	Fifty per cent by direct recruitment. Fifty per cent by promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Boiler Attendant and Armature Winder-cum-Welder of the institute in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade, failing which direct recruitment.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade), Central Research Institute, Kasauli - Chairman; (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member;	Not applicable.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member; (4) Commanding officer Military Hospital Kasauli or authorised representative - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade), Central Research Institute, Kasauli - Chairman; (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member; (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member; (4) Commanding officer Military Hospital Kasauli or authorised representative - Member.	
--	---	--

[F. No. A-12018/02/2020-EPI]

G.K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, समूह 'घ' पद, भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध पैकर, उपचर्या परिचर, आया, स्ट्रेचर वाहक और पशु परिचारक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उपचर्या परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, उपचर्या परिचर, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपचर्या परिचर	486* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र, और (iii) 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अस्पताल कार्य का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देख रहे उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/50/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 20th July, 2021

G.S.R.79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital Group-‘D’ Posts Recruitment Rules, 1982, in so far as they relate to the posts of Packer, Nursing Attendant, Aya, Stretcher Bearer and Animal Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Attendant in Safdarjang Hospital in New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Safdarjang Hospital, New Delhi, Nursing Attendant, (Group ‘C’ Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nursing Attendant	486* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non- ministerial.	Level -1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Matriculation pass from recognised board ; and (ii) First Aid certificate from central or state government recognised institution ; and (i) One year experience in hospital work in fifty bedded hospitals. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi. - Chairman; 2. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi - Member; 3. Deputy Director Administration looking after the work of Safdarjung Hospital in Directorate General of Health Services. - Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/50/2019-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.